

कार्यालय निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 20 (2एफ 12बी) आयो/निकाशि/2013 / 261

दिनांक: 4.4.13

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
.....

विषय :- महाविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियम 1956 के उपनियम 12बी के क्रम में।

संदर्भ :- निदेशालय का सम संख्यक पत्रांक 258 दिनांक 25.3.13 के क्रम में।

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि महाविद्यालय आज दिनांक तक किन कारणों से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियम 1956 के उपनियम 12बी में पंजीकृत नहीं हुआ है। कारणों से अविलम्ब निदेशालय को अवगत करावें ताकि निदेशालय द्वारा कारणों का निराकरण करवाया जा सकें। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरतें अन्यथा आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। सूचना की प्रति ugcsection@gmail.com पर भेजना सुनिश्चित करें।

भवदीय

संयुक्त निदेशक

क्रमांक: एफ 20 (2एफ 12बी) आयो/निकाशि/2013 / 262

दिनांक: 4.4.13

प्रतिलिपि :-

- 1 श्री धीरेन्द्र देवर्षि व्याख्याता वेबसाइट प्रभारी, कालेज शिक्षा, को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।

संयुक्त निदेशक